Helpline: 18002742277 **Email: ewb.uttarakhand@gmail.com**

राज्य कर विभाग,उत्तराखण्ड

E-way Bill
Frequently Asked Questions

(Disclaimer: यह FAQs सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है)

Version 1.0

राज्य कर विभाग,उत्तराखण्ड

E-way Bill
Frequently Asked Questions (FAQs)

E-way Bill से संबंधित प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. E-way bill बिल क्या है ?

उत्तर. GST के अन्तर्गत e-way bill एक ऐसा प्रपत्र है जो किसी मोटर–युक्त वाहन (motorised vehicle) में रू0 50000/– से अधिक मूल्य के माल के परिवहन से पूर्व online बनाया जाना आवश्यक है। इसके लिए राज्य कर उत्तराखण्ड की वेबसाईट http://comtaxappl.uk.gov.in/gstweb पर e-way bill लिंक उपलब्ध है। इस लिंक के माध्यम से नामांकन कराकर तत्पश्चात् वांछित सूचनाएँ भरकर e-way bill बनाया जा सकता है।

प्रश्न 2. E-way bill कौन बना सकता है?

उत्तर. प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो सप्लाई या सप्लाई से भिन्न प्रयोजन अथवा किसी अपंजीकृत व्यक्ति से माल की इनवर्ड सप्लाई लेता है जिसका मूल्य रू0 50000/– से अधिक है तो उसके लिए e-way bill बनाना अनिवार्य है। अपंजीकृत ट्रांसपोर्टर भी e-way bill portal पर अपना नामांकन कराकर e-way bill बना सकते हैं।

प्रश्न 3. कितने मूल्य के माल के लिए e-way bill बनाना अनिवार्य है?

उत्तर. नियम–138 के अधीन उल्लेखित Annexure में घोषित वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं जिनका मूल्य रू0 50000/– से अधिक है, के लिए e-way bill बनाना अनिवार्य है। यदि एक मोटर–युक्त वाहन (motorised vehicle) में रू0 50000/– से अधिक मूल्य की विभिन्न वस्तुओं का सम्व्यवहार किया जा रहा है तो प्रत्येक सम्व्यवहार के लिए ट्रांसपोर्टर द्वारा e-way bill बनाना अनिवार्य है।

प्रश्न 4. किस वेबसाईट से e-way bill बनाया जा सकता है?

उत्तर. e-way bill जनरेट करने के लिए राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड की विभागीय वेबसाईट *http://comtaxappl.uk.gov.in/gstweb* पर e-way bill हेतु उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके e-way bill पोर्टल पर नामांकन कराना होगा। यहां उल्लेखनीय है कि e-way bill जेनरेट करने हेतु GST Portal के लिए जारी user id तथा password मान्य नहीं होगा। पंजीकृत व्यक्ति द्वारा e-way bill के लिए नामांकन कराते समय GST Portal के साथ

रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर OTP प्राप्त कर user id तथा password बनाया जा सकता है।

प्रश्न 5. **किन विधियों से e-way bill बनाया जा सकता है?**

उत्तर.
1. Web Mode
2. SMS
3. Android based
4. API (Site to Site Integration)
5. GSP (GST Suvidha Provider)

(नोट – API (Site to Site Integration) तथा GSP (GST Suvidha Provider) की सुविधा भविष्य में क्रियान्वित होगी)

प्रश्न 6. **SMS के माध्यम से e-way bill जेनरेट करने की सुविधा कैसे प्राप्त की जा सकती है?**

उत्तर. इसके लिए पंजीकृत व्यक्ति को e-way bill सिस्टम में login कर अपना मोबाईल नम्बर register कराना होगा। अधिकतम 02 मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड कराये जा सकते हैं।

प्रश्न 7. **Android based e-way bill जेनरेट करने की सुविधा कैसे प्राप्त की जा सकती है?**

उत्तर. इसके लिए पंजीकृत व्यक्ति को e-way bill सिस्टम में login करके अपने स्मार्ट फोन के IMEI नम्बर को e-way bill सिस्टम में register करा कर login में उपलब्ध APK से download करना होगा। इस सुविधा को गूगल प्ले स्टोर या किसी अन्य स्थान से download नहीं किया जा सकता ळें

प्रश्न 8. **e-way bill जेनरेट करने के पश्चात् उसकी वैधता कितने समय रहेगी?**

उत्तर. e-way bill की वैधता की अवधि दूरी पर आधारित है। e-way bill की वैधता निम्नवत् है:–

Distance	Conditions	Status
0 to 10 KM	प्रान्तीय, व्यापार स्थल से ट्रांसपोर्टर के गोदाम/स्थल तक	e-way bill का part-A अनिवार्य है। इसमें वाहन संख्या अंकित करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु ट्रांसपोर्टर की ID अनिवार्य है।
0 to10 KM	अन्तर्प्रान्तीय	e-way bill के part-A तथा part-B दोनों को भरना अनिवार्य है। part-B में वाहन संख्या घोषित करना अनिवार्य है।
> 10 KM	प्रान्तीय/अन्तर्प्रान्तीय	e-way bill के part-A तथा part-B दोनों को भरना अनिवार्य है। part-B में वाहन संख्या घोषित करना अनिवार्य है।

e-way bill की वैधता प्रत्येक 100 कि0मी0 या उसके भाग के लिए एक दिन (24 घण्टे) है।

प्रश्न 9. माल के परिवहन के दौरान वाहन के खराब होने अथवा माल के अन्य वाहन में अन्तरण करने पर क्या vehicle update किया जा सकता है?

उत्तर. हाँ! जिस पंजीकृत व्यक्ति अथवा ट्रांसपोर्टर द्वारा e-way bill जेनरेट किया गया है वह विभागीय वेबसाईट पर e-way bill के लिए बनाए गए login id तथा password से login करके अथवा रजिस्टर्ड मोबाईल से SMS के माध्यम से vehicle update कर सकते हैं। लेकिन इससे मूल रूप से बनाए गए e-way bill की वैधता अवधि अपरिवर्तित रहेगी।

प्रश्न 10. E-way bill परिवहन के कौन–कौन से mode के लिए लागू है?

उत्तर. रेल, सड़क, जलयान, वायुमार्ग के लिए लागू है।

प्रश्न 11. क्या मैं e-way bill generate करने के पश्चात् ट्रांसपोर्ट का माध्यम के बदलने की स्थिति में e-way bill में vehicle update कर सकता हूँ?

उत्तर. हाँ! ट्रांसपोर्ट का माध्यम बदलने की स्थिति में e-way bill के part-B में vehicle update करना आवश्यक है। अन्य माध्यमों के रूप में सडक, रेल, वायु मार्ग, जलयान का प्रयोग किया जा सकता है।

प्रश्न 12. Consolidated e-way bill क्या है?

उत्तर. Consolidated e-way bill एक ऐसा प्रपत्र है जो एक वाहन में अनेक सम्व्यवहारों के लिए बनाए गए e-way bills को शामिल करता है। यदि कोई ट्रांसपोर्टर चाहे तो अपने दो या दो से अधिक e-way bill को साथ में ले जाने के स्थान पर सभी e-way bill का एक Consolidated e-way bill बना सकता है, जिसमें सभी e-way bill की detail होगी परन्तु Consolidated e-way bill का नम्बर एक ही होगा।

प्रश्न 13. यदि किसी ट्रांसपोर्टर के वाहन में एक से अधिक e-way bill हैं, तो ऐसी दशा में क्या वह सभी e-way bill को सम्मिलित करते हुए एक consolidated e-way bill generate कर सकते हैं?

उत्तर. हाँ!

प्रश्न 14. क्या राज्य से होकर गुजरने वाले वाहन के लिए कोई अलग प्रपत्र प्रावधानित है?

उत्तर. नहीं! केवल e-way bill के साथ Tax invoice/bill of supply/Delivery challan ही पर्याप्त है।

प्रश्न 15. माल के परिवहन के समय किन प्रपत्रों का रखना अनिवार्य है?

उत्तर. टैक्स इनवाइस/बिल ऑफ सप्लाई/डिलीवरी चालान के साथ e-way bill का printout या केवल e-way bill नम्बर लेकर माल का परिवहन कर सकते हैं।

प्रश्न 16. मैं GST में पंजीकृत व्यापारी हूँ तथा मैं ट्रांसपोर्ट की सेवा भी अन्य व्यापारियों को प्रदान करता हूँ। ऐसी स्थिति में क्या मुझे अलग से नामांकन कराना होगा?

उत्तर. हाँ! यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी प्रदान करता है तो वह login करके ट्रांसपोर्टर के रूप में e-way bill जेनरेट कर सकता है।

प्रश्न 17. क्या e-way bill को भरने में त्रुटि होने अथवा माल का परिवहन रद्द होने की स्थिति में e-way bill को cancel करने की सुविधा उपलब्ध है?

उत्तर. हाँ! e-way bill जेनरेट करने वाला व्यक्ति उसे 24 घण्टे के भीतर cancel कर सकता है, परन्तु यदि रास्ते में सक्षम प्राधिकारी द्वारा e-way bill को verify कर दिया जाता है तो e-way bill, cancel नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 18. क्या e-way bill, delete किया जा सकता है?

उत्तर. नहीं! किसी भी परिस्थिति में e-way bill, delete नहीं हो सकता है।

प्रश्न 19. क्या e-way bill को reject किया जा सकता है?

उत्तर. हाँ! केवल माल के प्राप्तकर्ता द्वारा e-way bill जेनरेट होने के 72 घण्टे के भीतर e-way bill को reject किया जा सकता है। यदि उक्त अवधि में e-way bill, Reject नहीं किया जाता है तो उस अवधि के पश्चात् e-way bill को स्वतः स्वीकार्य (deemed acceptance) मान लिया जाएगा।

प्रश्न 20. e-way bill बनाने में त्रुटि होने अथवा e-way bill में की गई घोषणा के अनुसार माल के परिवहन न होने की दशा में क्या e-way bill को संशोधित (edit) किया जा सकता है?

उत्तर. नहीं! e-way bill संशोधित (edit) नहीं हो सकता है। उपरोक्त दशा में e-way bill को cancel कर नया e-way bill generate किया जा सकता है।

प्रश्न 21. सप्लायर द्वारा e-way bill जेनरेट होने की सूचना माल के प्राप्तकर्ता को किस प्रकार प्राप्त हो सकती है?

उत्तर. e-way bill जेनरेट होने की सूचना SMS के माध्यम से consignee तथा consignor दोनों को प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए consignee तथा consignor दोनों को e-way bill सिस्टम में नामांकित होना अनिवार्य है।

प्रश्न 22. मैं उत्तराखण्ड राज्य में GST के अधीन पंजीकृत व्यक्ति हूँ तथा मैं अपने मुख्य व्यापार स्थल से भिन्न 02 अन्य स्थानों से भी व्यापार करता हूँ। क्या मैं मुख्य व्यापार स्थल से भिन्न अन्य व्यापार स्थलों से भी e-way bill बनाने के लिए व्यक्तियों को अधिकृत कर सकता हूँ?

उत्तर. हाँ । पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अधिकतम 2 व्यक्तियों को sub user बनाकर मुख्य व्यापार स्थल से भिन्न अन्य पंजीकृत व्यापार स्थलों से e-way bill जेनरेट करने की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए पंजीकृत व्यक्ति को e-way bill सिस्टम में login कर sub user बनाना होगा तथा उसे इस आशय का अधिकार प्रदान करना होगा। आप sub user के अधिकारों को नियंत्रित/सीमित भी कर सकते हैं।

प्रश्न 23. E-way bill की अन्य विशिष्टताएं क्या हैं?

उत्तर. e-way bill सिस्टम से रजिस्टर्ड व्यक्ति अपना प्रोडक्ट मास्टर, क्लाइंट मास्टर, सप्लाई मास्टर, सप्लायर मास्टर तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त e-way bill सिस्टम से GSTR-1 तैयार करना भी आसान होगा। रजिस्टर्ड व्यक्ति को दैनिक आधार पर उसके द्वारा बनाए गए e-way bill तथा उसके सप्लायर्स द्वारा जेनरेट किए गए e-way bill की सूचना प्राप्त होगी।

For further details please contact:
Address: Office of Commissioner Tax, 6th Pulia, Natthanpur, Ring Road, Dehradun.
Helpline: 18002742277
Email: ewb.uttarakhand@gmail.com